15/10/14.

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की द्वितीय बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त –

दिनांक 15–10–2014 को श्री राजीव गांधी बहुउद्देशीय भवन, डिस्पेंशरी रोड पर स्थित उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष में मा0 आवास मंत्री/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड एवं नगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी।

उपस्थिति :

1 श्री डी0एस0 गर्ब्याल, सचिव, आवास विभाग/मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण ।
2 डा0 वी0 षणमुगम, अपर सचिव, आवास विभाग/अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
3 श्री एम0सी0 जोशी, सचिव, नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4 डा0 आर0मीनाक्षी सुन्दरम, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5 श्री सुभाष चन्द्र, संयुक्त सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
6 श्री श्याम सिंह चौहान, उप सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
7 श्री एस0के0 पंत, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

विशेष उपस्थिति :

8 श्री बंसीधर तिवारी, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून
9 सुश्री निधि यादव, सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
10 डा0 तन्जीम अली, मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
11 श्री एन0एस0 रावत, अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
12 श्री वी0पी0 शर्मा, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
13 श्री नरेन्द्र सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष महोदय के अनुमति के पश्चात प्राधिकरण की द्वितीय बैठक प्रारम्भ की गयी, जिसमें प्रथम बैठक में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन पर विस्तार से विचार–विमर्श के उपरांत कृत कार्यवाही पर सहमति एवं अनुमोदन दिया गया। तदोपरांत द्वितीय बैठक के एजेण्डा पर निम्नानुसार विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया।

क्रमांक–1

विषय – हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण का मास्टर प्लान बनाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय – वरिष्ठ नियोजक, नग्रानि द्वारा मास्टर प्लान बनाये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही पर विस्तार से प्रगति–विवरण प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव फिलहाल महायोजना क्षेत्र के सर्वे से सम्बन्धित है। सर्वे के उपरान्त महायोजना तैयार किये जाने हेतु अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। बोर्ड द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गयी। यह भी अवगत कराया गया है कि हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना तैयार है, जबकि ऋषिकेश विकास क्षेत्र की पुनरीक्षित महायोजना तैयार किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। विकास प्राधिकरण में सम्मिलित नये विकास क्षेत्र की महायोजना तैयार करने हेतु विकास क्षेत्र का सर्वप्रथम सर्वे कराया जाना है और पूर्व में रूड़की विनियमित क्षेत्र की महायोजना तैयार करने हेतु

8673 हैक्टेयर क्षेत्र सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है अतः हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में उक्त क्षेत्र के अतिरिक्त बढ़े हुए क्षेत्र 17,584 हैक्टेयर के सर्वे के सन्दर्भ में पूर्व में कार्यरत संस्था से विचार–विमर्श करते हुए सर्वे का कार्य किये जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही–हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग)

क्रमांक–02

विषय – अन्य स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन हेतु सर्वेक्षण कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।

निर्णय– वरिष्ठ नियोजक द्वारा सर्वेक्षण की प्रगति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी। बोर्ड द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि रूद्रपुर–काशीपुर–हल्द्वानी सहित विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें विकास क्षेत्र में शामिल किये जाने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही–नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग)

क्रमांक–03

विषय – **उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का मोनोग्राम बनवाने के सम्बन्ध में।**

निर्णय –प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी और निर्देश दिये गये कि मोनोग्राम के तीन से अधिक प्रारुप तैयार करवाते हुए मोनोग्राम पर सहमति एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया।

(कार्यवाही–उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

क्रमांक–04

विषय – **Rent-to-own योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।**

निर्णय–प्रस्ताव पर विचार–विर्मशोपरांत सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये।

(कार्यवाही–उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

क्रमांक– 05

विषय –राज्य स्तरीय प्राधिकरण कार्यालय निर्माण हेतु भूमि चयन हेतु समिति गठित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय – प्रस्ताव पर अनुमोदन के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम जिला प्रशासन से भूमि प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाए।

(कार्यवाही–उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

क्रमांक–06

विषय – अवस्थापकीय योजनाओं के परिकल्पन, कियान्वयन हेतु जॉब आउट सोर्स के आधार पर पी0एम0यू0 सेल गठन के सम्बन्ध में।

निर्णय – प्रस्ताव पर विचारोपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया ।

(कार्यवाही–उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

क्रमांक–07

विषय –विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र में एकल आवासीय भवनों के निर्माणों पर one-time settlement अन्तर्गत स्वैच्छिक शमन योजना लागू किया जाना।

निर्णय –प्रस्ताव पर विचारोपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया ।

(कार्यवाही–आवास विकास, उत्तराखण्ड शासन)

क्रमांक–08

विषय – उत्तराखण्ड (उ0प्र0 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अधिसूचित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 1973 के अधीन अधिसूचित करने विषयक।

निर्णय – प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया और यह सहमति व्यक्त की गयी कि साडा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 के अधीन अधिसूचित किये जाने पर बोर्ड की सहमति है तथापि इस प्रस्ताव को शासन द्वारा न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए तदनुसार ही अमल में लाया जाये ।

(कार्यवाही–आवास विकास, उत्तराखण्ड शासन)

क्रमांक–9

विषय – उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकरणों को पूर्व की तरह कार्यशील रहने के सम्बन्ध में।

निर्णय – प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरांत अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही–आवास विकास, उत्तराखण्ड शासन)

क्रमांक–10

विषय – देहरादून महायोजना 2005–2025 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा महायोजना क्षेत्र में जोनल प्लान हेतु निर्धारित जोन–5 में बहुमंजिला आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण पर अस्थाई प्रतिबन्ध।

निर्णय – प्रस्ताव पर विचार–विमर्शोपरांत यह निर्णय लिया गया कि परीक्षण कर पुनः प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही–उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

क्रमांक–11

विषय – दुर्बल आय वर्ग भवनों/भूखण्डों के निस्तारण हेतु आवंटन की प्रकिया एवं ऐसे भवनों/भूखण्डों की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय – प्रस्ताव पर विचार–विमर्शोपरांत अनुमोदन दिया गया।

(कार्यवाही–आवास विभाग, उत्तराखण्ड विभाग)

अन्य बिन्दुः–

उक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के परामर्श के अनुसार गुजरात सरकार के Land Pooling Policy का अध्ययन करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव को शासन में सन्दर्भित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी तथा साथ ही साथ यह भी अपेक्षा की

गयी कि स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अवैध निर्माण पर रोक लगाने हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाये। अवैध निर्माण पर नियंत्रण हेतु सैटेलाईट इमेज के सहयोग से प्रभावी कार्यवाही की जाये। राज्य विकास प्राधिकरण के ढांचे के सम्बन्ध में यह सहमति व्यक्त की गयी कि हरियाणा राज्य विकास प्राधिकरण की तर्ज पर उत्तराखण्ड राज्य विकास प्राधिकरण का ढांचा तैयार करने हेतु अपर सचिव, आवास की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाए। यथा आवश्यकतानुसार हरियाणा राज्य में जाकर इसका परीक्षण किया जाए। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को 01 माह के भीतर मा0 मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गयी। वर्तमान में राज्य विकास प्राधिकरण के कार्यो के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार न्यूनतम स्टाफ की तैनाती किये जाने पर सहमति दी गयी। वर्तमान में प्राधिकरण में प्रत्येक संवर्ग में न्यूनतम स्टाफ रखे जाने की अपेक्षा की गयी । चूंकि पूर्व में 01 अधिशासी अभियंता कार्यरत् हैं अतः उनके सांथ 01 सहायक अभियंता, 02 अवर अभियंताओं की तैनाती स्थानीय प्राधिकरणों से किए जाने एवं 01 सहायक नगर नियोजक, 01 मानचित्रकार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से तैनात किए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। इस सम्बन्ध में कार्यवाही शासन स्तर से शीघ्र किये जाने की अपेक्षा की गयी।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन हेतु भी प्रस्ताव तत्काल शासन को सन्दर्भित किया जाये। 2500 वर्गमीटर से अधिक की भूमि पर प्रस्तावित/निर्मित निर्माण पर स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही का अनुश्रवण भी राज्य विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।'

(कार्यवाही–आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन/
राज्य विकास विकास प्राधिकरण/एमडीडीए/नग्रानि)

उपरोक्त निर्णय के उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव, आवास/मुख्य प्रशासक
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।

संख्या– 1166 /v/आ0–2014 दिनांक 05-11-2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
2– निजी सचिव, सचिव, आवास विभाग/मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
3– निजी सचिव, अपर सचिव, आवास विभाग/अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
4– बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगण।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0वी0 षण्मुगम)
अपर सचिव, आवास/अपर मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण